

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 28 August 2026

ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच अब CBI के हवाले, परिवार ने उठाए थे भोपाल पुलिस की जांच पर सवाल

Sanket Morankar

Published on 22 May 2026



चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 12 मई 2026 को कटारा हिल्स स्थित घर में हुई ट्विशा शर्मा की मौत की जांच अब CBI करेगी। इस मामले में परिवार लगातार भोपाल पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा था और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था।

ट्विशा शर्मा के पिता और भाई ने पहले ही मामले की जांच CBI से कराने की मांग की थी। परिवार का आरोप था कि स्थानीय पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है और प्रभावशाली लोगों के दबाव में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही। ट्विशा के भाई आशीष शर्मा ने कहा था कि पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है और मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह अब तक गिरफ्तारी से बाहर है।

कटारा हिल्स थाने में इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत CBI को पूरे मध्य प्रदेश में जांच का अधिकार प्रदान किया गया है।

मामले का सबसे बड़ा सवाल ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर बना हुआ है, जो घटना के कई दिनों बाद भी फरार है। भोपाल पुलिस ने उस पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और बैंक खातों व पासपोर्ट की जांच की जा रही है।

वहीं ट्विशा की सास एवं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि जिस घर में घटना हुई, उसी घर में वह अब भी रह रही हैं और पुलिस ने उनसे अब तक औपचारिक पूछताछ नहीं की। परिवार ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें नोटिस जारी किया गया है।

जांच प्रक्रिया में देरी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार के मुताबिक, जिस बेल्ट से कथित तौर पर फांसी लगाने की बात

कही गई, उसे घटना के दो दिन बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। वहीं कोर्ट द्वारा शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी।

अब CBI जांच शुरू होने के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में कई अहम खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। परिवार को उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच से टिवशा शर्मा की मौत से जुड़े सभी राज सामने आएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.